

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 19, शुक्रवार, शके 1947- जनवरी 09, 2026 Pausa 19, Friday, Saka 1947- January 09, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर

(भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

प्रपत्र-7

प्रारम्भिक अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 28, 2025

(नियम 16 का उपनियम (1) देखें)

Rajkaj 19610694 :-राजस्थान सरकार को यह प्रतीत होता है कि उपखण्ड क्षेत्र बून्दी में, संलग्न अनुसूची की सम्बद्ध सारणी के कॉलम (1) से (6) तक में तहसील-रायथल जिला-बून्दी के उल्लेखित 01 राजस्व ग्राम हनोटिया के 09 खसरा के आंशिक/सम्पूर्ण भाग का 1.35 हैक्टेयर क्षेत्रफल प्रान्तीय महत्व की प्रस्तावित एवं राजस्थान राजपत्र विशेषांक जनवरी 17, 2025 द्वारा अधिसूचित परियोजना “कुरेल नदी (एमडीआर-354) पर हनोटिया से जैथल तक उच्च स्तरीय पुल निर्माण परियोजना” का जनहित में निर्माण/विकास किए जाने के लिए इन आवश्यक भूमि/भूमियों की भूमि-अवाप्ति की कार्यवाही “भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 30) की धारा-11 की उपधारा (1) एवं राजस्थान सरकार के नियम 2016 के नियम-16 उपनियम (1)” के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाना अत्यावश्यक हैं।

उक्त अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों तथा विहित प्रक्रियानुसार परियोजना “कुरेल नदी (एमडीआर-354) पर हनोटिया से जैथल तक उच्च स्तरीय पुल निर्माण परियोजना” से प्रभावित भूमियों/भू-भाग/क्षेत्र का अधिकृत ईकाई द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण एवं आंकलन अध्ययन रिपोर्ट तैयार करवाकर आमजन/हितबद्ध को सूचित कर की गई जनसुनवाई के उपरान्त नियमानुसार गठित गैर-सरकारी बहुआयामी विशेषज्ञ समूह द्वारा रिपोर्ट के किए गए परीक्षण एवं अनुशंसा के तदुपरान्त राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना का सारांश यह है कि इस परियोजना सड़क के लिए भू-अर्जन के कारण प्रभावित परिवारों में से कुल शून्य (संख्या) परिवारों/कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। अतः बून्दी जिले की रायथल तहसील के राजस्व ग्राम हनोटिया में उक्त उच्च स्तरीय पुल निर्माण परियोजना के लिए 1.35 हैक्टेयर मानक माप के भूखण्ड, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है।

अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की अनुसूची से सम्बद्ध सारणी (सार-संक्षेप)

क्र. सं.	जिला	तहसील	राजस्व ग्राम	प्रभावित भूमि	
				खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बून्दी	रायथल	हनोतिया	09	1.35

प्रस्तावित परियोजना अन्तर्गत तहसील रायथल के राजस्व ग्राम हनोतिया की प्रभावित भूमि का विस्तृत विवरण संलग्न अनुसूची में अंकित हैं तथा परियोजना से सम्बन्धित जानकारी, कोई भी हितबद्ध व्यक्ति कार्य दिवसों में कार्यालय भूमि-अवाप्ति अधिकारी (सक्षम प्राधिकारी) एवं उपखण्ड अधिकारी, बून्दी से प्राप्त कर सकता है।

अनुसूची

ग्राम का नाम: हनोतिया						तहसील: रायथल				जिला: बून्दी				
क्र. सं.	खसरा नम्बर	शीर्षक प्रकार	भूमि प्रकार	कुल रकबा (हे)	प्रभावित रकबा (हे)	हितबद्ध व्यक्तियों का नाम व पता	सीमाओं का विवरण				वृक्षों का विवरण		संरचनाओं का विवरण	
							उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	कुर्सी क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	221	सरकारी	गै.मु. रास्ता	1.26	0.05	राजस्थान सरकार	25	213	22	176	-	-	-	-
2	222	सरकारी	गै.मु. रास्ता	2.33	0.09	राजस्थान सरकार	28	224	53	221	-	-	-	-
3	540/226	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.40	0.10	राजस्थान सरकार	213	542/22	539/22	539/22	-	-	-	-

ग्राम का नाम: हनोतिया						तहसील: रायथल				जिला: बून्दी				
क्र.सं.	खसरा नम्बर	शीर्षक का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल रकबा (हे)	प्रभावि रकबा (हे)	हितबद्ध व्यक्तियों का नाम व पता	सीमाओं का विवरण				वृक्षों का विवरण		संरचनाओं का विवरण	
							उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	कुर्सी क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			स्ता					8	226					
4	539/226	सरकारी	गै.मु.नदी	0.51		राजस्थान सरकार	213	292	225	540/226	-	-	-	-
5	224	सरकारी	गै.मु.नदी	0.33	0.56	राजस्थान सरकार	537/223	297	538/223	221	-	-	-	-
6	225	सरकारी	गै.मु.नदी	0.42	0.01	राजस्थान सरकार	213	294	213	539/226	-	-	-	-
7	537/223	सरकारी	गै.मु.रास्ता	1.03	0.47	राजस्थान सरकार	222	224	-	224	-	-	-	-
8	297	सरकारी	बारा नी 2	0.20	0.07	राजस्थान सरकार	224	213	298/44	213	-	-	-	-

ग्राम का नाम: हनोतिया						तहसील: रायथल				जिला: बून्दी			
क्र.	खसरा सं.	शीर्षक प्रकार	भूमि प्रकार	कुल रकबा (हे)	प्रभावि रकबा (हे)	हितबद्ध व्यक्तियों का नाम व पता	सीमाओं का विवरण				वृक्षों का विवरण		संरचनाओं का विवरण
							उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									7				
9	366	सरकारी	गै.मु.नाला	0.66	0.01	राजस्थान सरकार	224	365	-	299	-	-	-
कुल योग					1.35								

भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड-बून्दी को, अन्य तकनीकी विशेषज्ञों से सहयोग लेने व स्वयं मय अधीनस्थ स्टाफ के अपने श्रमिकों सहित यदि कोई हो, को प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, तलमापन/अन्य कोई माप करने, अवमृदा के भीतर खोदने/भेदन करने तथा वे समस्त कार्य हो धारा-12 में वर्णित हैं, को करने के लिए प्राधिकृत करती हैं।

अधिनियम की धारा-11(4) के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा ना ही किसी से करवाएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा, परन्तु विशेष परिस्थितियों में आवश्यक होने पर भी, अर्थात् क्रय/विक्रय, रहन, स्वरूप/शीर्षक/भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी कार्य, इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् भूमि-अवाप्ति अधिकारी (सक्षम प्राधिकारी) एवं उपखण्ड अधिकारी बून्दी की बिना पूर्वानुमति के नहीं कर सकेगा।

अधिनियम की धारा-15 के तहत यथा बंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिवस की अवधि में यदि किसी हितबद्ध पक्षकार (खातेदार) को भूमि-अर्जन से सम्बन्धी कोई

आपत्ति/आक्षेप यदि कोई हो, तो भूमि-अवाप्ति अधिकारी (सक्षम प्राधिकारी) एवं उपखण्ड अधिकारी बून्दी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता हैं।

अतः एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता हैं कि संलग्न अनुसूची में उल्लेखित भूमि राज्य-सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजना “कुरेल नदी (एमडीआर-354) पर हनोतिया से जैथल तक उच्च स्तरीय पुल निर्माण परियोजना” के निर्माण/विकास के लिए जनहित में अर्जित किया जाना अत्यावश्यक हैं।

आर.के.लूथरा,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।